संख्या- 5/2016 /एस-3-56/दस-2016-ब(20)/2013

प्रेषक,

राज रतन
अनुसचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2016

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्थान के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63 के अर्न्तगत मानक-16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-कार्या0 व्यय/20/80/बजट15-16/59 दिनांक 25-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में भुगतान हेतु मानक मद- 16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में धनराशि अपर्याप्त होने की दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय संलग्न पुर्नविनियोग आदेश संख्या-आर0ई0-344 दिनांक 05-02-2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 के मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचतो से इसी लेखा शीर्ष की मानक मद-16- व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 275 हजार (रू0 दो लाख पच्चहत्तर हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- कृपया उक्त मद में व्यय उक्त सीमा तक ही सीमित रखा जाय ।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त ।

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या- 5/2016/एस-3-56(1)/दस-2016-ब(20)/2013-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रपत्र बी0एम0 - 9 की प्रति सहित ।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)आडिट उ0प्र0, इलाहाबाद की प्रति सहित ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रपत्र बी0एम0-9 की प्रति सहित ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2(बी. एम. 9, तीन प्रतियो में)

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल ।

संलग्नक- यथोक्त ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0 -9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

वित्तीय वर्ष, 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)-

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन 00-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान-00-01-वेतन	14100	4170	275	275	13825
योग	14100	4170	275	275	13825

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त् विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2054 00 003 03 00 16	3150	3425	275	275	3425
योग	3150	3425	275	275	3425

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का विवरण निम्नानुसार है :-

संस्थान में कतिपय पदों के रिक्त रहने के कारण आय-व्ययक के मानक मद 01-वेतन में क्रमश रू0 2170 हजार की बचत संभावित है। इस बचत से रू0 275 हजार मानक मद-16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के व्ययधिक्य की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,24/3-4, इन्दिरानगर, लखनऊ मे कार्यरत अवर अभियन्ता-कम-वयवस्थपक के मासिक वेतन का भुगतान पी0सी0एफ0 के माध्यम से मानक मद-16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद से किया जाता है। अवर अभियन्ता के ए0सी0पी0 के अवशेष के भुगतान हेतु पी0सी0एफ0 की गणनानुसार भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता है। इसके अतिरिक्त शासनादेश सं0 एस-3-489/दस-2015 134(12)/2014 दिनांक 08 जनवरी,2016 के अर्न्तगत आउटसोर्सिग के माध्यम से कतिपय तकनीकी तथा अन्य पदो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इन्हे भुगतान करने हेतु मानक मद -16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 275 हजार अतिरिक्त धनराशि की आवश्यक्ता है जिसे आय-व्ययक के मानक मद-01 वेतन मद की संभावित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 344 दिनांक- 05-02-2016

सेवा में , महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

संख्या-5/2016 /एस-3-56/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)
5- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।